



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016—माघ 23, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

वर्ष 2016-17 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री  
की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था

कैम्प भोपाल, दिनांक 12 फरवरी, 2016

क्रमांक सात-ठेका/2016-17/79 कैम्प भोपाल दिनांक 12 फरवरी, 2016—राज्य शासन के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2016-17 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए निम्नांकित **परिशिष्ट-क के कॉलम 2** में उल्लेखित मध्यप्रदेश राज्य के 42 जिलों में वर्ष 2015-16 में संचालित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों का निष्पादन प्रथमतः नवीनीकरण के माध्यम से वर्तमान लायसेंसियों से **दिनांक 24 फरवरी, 2016, दिन बुधवार तक** आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर, पात्र आवेदकों के हित में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।

नवीनीकरण के अभाव में संबंधित जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निवर्तन/निष्पादन **परिशिष्ट-क के कॉलम 3** में दर्शाए गये स्थलों पर दिनांक **04 मार्च, 2016 दिन शुक्रवार को दिन 11.00 बजे से** नीलाम (बोली) द्वारा अथवा यथाआवश्यकता टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा। नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की सूची (जानकारी) संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से **दिनांक 25 फरवरी, 2016 दिन गुरुवार** को घोषित की जायेगी। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ-साथ, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा।

नवीनीकरण के अभाव में जिन जिलों में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा किया जायेगा, ऐसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम में जो व्यक्ति भाग लेना चाहें, वे **परिशिष्ट-“क” के कॉलम 3** में दर्शाए गये अनुसार, संबंधित नीलाम केन्द्रों (स्थल) पर नियत नीलाम तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार बोली एवं यथाआवश्यकता आहूत किये जाने पर टेण्डर दे सकते हैं।

नीलाम (बोली) अथवा यथाआवश्यक टेण्डर की कार्यवाही द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह, उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी तथा वर्ष 2014-15 में तथा वर्ष 2015-16 के प्रथम नौ माह में दुकानवार भांग की खपत आदि की जानकारी (सेल पेपर), सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित, किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय, नीलाम स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे। यदि किसी कारणवश, उपरोक्त दिनांक **04 मार्च, 2016 दिन शुक्रवार** को नीलाम (बोली)/टेण्डर की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर नीलाम (बोली)/टेण्डर की कार्यवाही की जा सकेगी।

**वर्ष 2016-17 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे :-**

1. **नवीन भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का खोला जाना**  
वर्ष 2016-17 के लिए राज्य में कोई भी नवीन भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान नहीं खोली जा रही है।
2. **वर्तमान भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों को बन्द किया जाना**  
वर्ष 2015-16 में संचालित किसी भी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान को वर्ष 2016-17 के लिए बन्द नहीं किया जा रहा है।
3. **आरक्षित मूल्य का निर्धारण**
  - 3.1 वर्ष 2016-17 के लिए प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का आरक्षित मूल्य, उसके वर्ष 2015-16 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।
  - 3.2 वर्ष 2015-16 में जिन भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन एक से अधिक बार हुआ है, उनकी वर्ष 2015-16 की वार्षिक लायसेंस की परिगणना आनुपातिक रूप से प्रत्येक निष्पादन अवधि के लिये प्राप्त वार्षिक लायसेंस फीस के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष 2015-16 के लिये जो सर्वाधिक मूल्य आयेगा, उसे ही वर्ष 2015-16 की वार्षिक लायसेंस फीस मान्य कर, उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2016-17 के लिए आरक्षित मूल्य की गणना की जायेगी।
4. **अर्नेस्टमनी की राशि**  
वर्ष 2016-17 के लिए संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अर्नेस्टमनी की राशि होगी।
5. **1/6 अग्रिम धन की राशि**  
प्रत्येक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की वर्ष 2016-17 की वार्षिक लायसेंस फीस अथवा सफल बोलीदार/टेण्डरदाता की उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर की राशि के 1/6 भाग की राशि, उसकी 1/6 अग्रिम धन की राशि होगी।
6. **प्रतिभूति राशि**  
वर्ष 2016-17 के लिए नवीनीकरण अथवा नीलाम (बोली) अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादित प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की वर्ष 2016-17 की वार्षिक लायसेंस फीस की 1/12 भाग राशि, उसकी प्रतिभूति की राशि होगी।
7. **नवीनीकरण आवेदन पत्र का मूल्य**  
वर्ष 2016-17 के लिए नवीनीकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग अथवा भांगघोटा अथवा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की प्रत्येक दुकान के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500/- की दर से प्रभारित किया जायेगा।
8. **भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण द्वारा निष्पादन :-**
  - 8.1 वर्ष 2016-17 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान वर्ष 2015-16 के ऐसे लायसेंसी, जिन्होंने वर्ष 2015-16 में दिनांक 31 जनवरी 2016 तक की अवधि में देय लायसेंस फीस का भुगतान नियमित रूप से किया है और दुकानों के संचालन में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, को वर्ष 2016-17 के लिए अपनी दुकान के लायसेंस के नवीनीकरण की पात्रता होगी। वर्ष 2015-16 के लायसेंसियों द्वारा संचालित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की सभी दुकानों को वर्ष 2015-16 की वार्षिक लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि पर वर्ष 2016-17 के लिये संचालित करने का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदनों को निम्न कंडिका 8.2 में अंकित प्रतिबंध के अन्तर्गत निराकृत किया जाकर लायसेंस/अनुबंधों का वर्ष 2016-17 के लिये सशर्त नवीनीकरण किया जा सकेगा। नवीनीकरण के अभाव में जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नीलाम (बोली)/ टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।

8.2 राजस्व हित में उन्हीं जिलों में वर्ष 2016-17 के लिये नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिन जिलों में वर्ष 2015-16 में संचालित समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिये नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुये हों। इससे कम दुकानों के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंस का नवीनीकरण न करते हुए, जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जाएगा।

9. **भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की शर्तें**  
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन हेतु प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी :-

9.1 वर्ष 2015-16 के ऐसे लायसेंस, जिनके विरुद्ध माह जनवरी, 2016 अंत तक वर्ष 2015-16 की देय कोई लायसेंस फीस बकाया नहीं है, उन्हें अपनी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस का वर्ष 2016-17 के लिए नवीनीकरण का आवेदन वांछित सहपत्रों सहित **दिनांक 24 फरवरी, 2016 दिन बुधवार को 15.00 बजे** तक संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक-7** में उल्लेखित नियत राशि के मगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कॅश आर्डर द्वारा भुगतान किये जाने पर **दिनांक 24 फरवरी, 2016 दिन बुधवार को 14.00 बजे** तक कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा। भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह के लिए आवेदन पत्र, समूह में सम्मिलित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या के अनुपात में समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे।

9.2 जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिये नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर ही, प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा **दिनांक 24 फरवरी, 2016 दिन बुधवार** को किया जाकर, पत्र आवेदकों को सम्बन्धित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2016-17 के लिए परिगणित आरक्षित मूल्य (वार्षिक लायसेंस फीस) पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। अन्यथा वर्ष 2016-17 के लिये जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही नीलाम (बोली)/टेण्डर के माध्यम से की जायेगी। ऐसी स्थिति में वर्ष 2015-16 के लायसेंसियों द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि एवं आवेदन पत्र की राशि उससे रेवेन्यू स्टॉम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।

9.3 नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसि अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे :-

(क) निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र।

(ग) संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की **कण्डिका क्रमांक-चार** में उल्लेखित देय अर्नेस्टमनी की राशि नगद या समतुल्य राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कॅश आर्डर।

(घ) नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसि/आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथपत्र भी **कण्डिका-15-क** में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा कि :-

(1) आवेदक वर्ष 2016-17 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करेगा।

(2) यदि आवेदक **कण्डिका क्रमांक-20** में उल्लेखित अग्रिम धन 1/6 भाग की अवशेष राशि **दिनांक 03 मार्च, 2016 तक** जमा नहीं करता है, तो उसके द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए पूर्व में जमा 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी तथा वर्ष 2016-17 के लिए जमा अर्नेस्टमनी की राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसकी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान का वर्ष 2016-17 के लिए सार्वजनिक रूप से नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

- (3) यदि जिले में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण के लिये पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों पर वर्ष 2016-17 के लिये नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं, तब उस जिले में समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा किये जाने के स्थान पर, उस जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. **भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा निष्पादन**  
वर्ष 2016-17 के लिये जिन जिलों में समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा सम्पन्न नहीं होगा, केवल उस जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जाएगा।
11. **भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तें**  
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा किये जाने की स्थिति में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी :-
12. **बोली देने/टेण्डर हेतु नीलाम स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क :-**  
नीलाम स्थल में बोली/टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो नीलाम में भाग लेने के पत्र होंगे तथा जिन बोलीदारों द्वारा निम्नलिखित शर्त क्रमांक 13, 14, 15, 16 एवं 17 का पालन कर लिया गया हो। नीलाम स्थल पर बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत एम.पी.टी.सी-6 रसीद एवं दो क्रमांकित प्रवेश-पत्र दिये जायेंगे। एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए। बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवेश-पत्र पर नीलाम का वर्ष, बोलीदार/टेण्डरदाता का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा। सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवेश-पत्र पर, नीलाम का वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा। प्रवेश-पत्र पर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत किये गये अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति, प्रवेश-पत्र को अपने सीने में बाँई ओर लगायेगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली-भाँति लगाए रखेगा।
13. **व्यक्ति जो नीलाम/टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे :-**  
नीलाम में ऐसे व्यक्ति ही बोली लगा सकेंगे/टेण्डर दे सकेंगे, जो भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली देने/टेण्डर प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य रहेंगे :-
- 13.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।
- 13.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि, पोपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।
- 13.3 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2015-16 की अवधि का लायसेंस, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2015-16 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न चुकायी गयी हो।
- 13.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस रखा हो और लायसेंस की हैसियत से उसका आचरण, कलेक्टर (नीलाम करने वाले अधिकारी) के मत में संतोषजनक न रहा हो।
- 13.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।
- 13.6 कोई भी व्यक्ति, जो किसी छूत की बीमारी से संक्रमित हो।
- 13.7 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में कलेक्टर (नीलामकर्ता अधिकारी) को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।
- 13.8 कोई भी व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का

क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 तथा/अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिये किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

टिप्पणी :- (1) बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, कण्डिका 13.2 एवं 13.3 में उल्लेखित शर्त, कलेक्टर (नीलामकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

(2) काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कण्डिका 13.5 की शर्त कलेक्टर (नीलामकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

**14. सहमति करार-पत्र प्रस्तुत किया जाना:-**

प्रत्येक भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस/दुकानों के समूह के लायसेंसों के बोलीदार/टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह नीलामी/टेण्डर की प्रक्रिया में नीलाम/टेण्डर की शर्तों और निर्बंधनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार वह अपने उस राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान व उसमें वर्तमान में संधारित अमने बचत/चालू बैंक खाते के क्रमांक के साथ-साथ स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किये गये फोटो सहित, प्रमाण स्वरूप सहमति करार में हस्ताक्षर कर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के नीलाम में बोली/टेण्डर देने के पूर्व, बोली देने/टेण्डर प्रस्तुत करने की शर्तों को मान्य करने का सहमति-करार

राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं .....(बोलीदार/टेण्डरदाता का नाम)

पिता/पति श्री..... निवासी..... धन्धे का स्थान .....

.....आयु.....(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि

1. मेरे राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत/चालू खाते का क्रमांक .....व बैंक का नाम तथा पता .....है।
2. मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा (PAN) क्रमांक .....है।
3. मैंने भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के वर्ष 2016-17 के लिए नीलाम की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं नीलाम की शर्तें प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ।
4. मैंने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।
5. मैं अपनी बोली/टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा निक्षेप किये गये अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता/करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ कि पुनः नीलाम की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की राशि, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

**टीप :-**

(1) प्रत्येक भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बचत/चालू बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा (PAN) क्रमांक, सहमति करार-पत्र में अंकित कर उपरोक्त सहमति करार-पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) बोलीदार/टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार-पत्र की पूर्ति कर, हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री/श्रीमती.....को उपरोक्त भाग, भाग छोटा तथा भाग मिठाई लायसेंस/लायसेंसों के समूहों के उल्लेखित नीलाम में उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक .....

जिला .....

15. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना :

15-क नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिये

भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के वर्ष 2016-17 के लिये नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**शपथ-पत्र**

मैं स्वयं (नाम).....(पिता/पति का नाम).....

.....निवासी (पता).....

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :-

- (1) मुझे मेसर्स .....(यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये), कम्पनी के संचालक मंडल (**Board of Directors**) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (**Resolution**) द्वारा मुझे ..... पदनाम .....(यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये) अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी नामांकित किया गया है।
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंसों के वर्ष 2016-17 के लिये नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने/लायसेंस धारण करने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं।
- (3) मेरे द्वारा सहमति करार-पत्र, वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है।
- (4) मेरे द्वारा अपनी भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंसों की वर्ष 2016-17 के लिये देय 1/12 भाग प्रतिभूति की राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बंधक बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारण्टी के रूप में दिनांक 03 मार्च, 2016 तक प्रस्तुत कर दी जायेगी।
- (5) मेरे द्वारा नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला.....की भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस की वर्ष 2016-17 के लिये निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रूपये .....निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है :-
- (6) (I) नगद राशि रूपये..... एम.पी.टी.सी.-6 रसीद क्रमांक.....  
दिनांक ..... रूपये.....
- (II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक कौश आर्डर ..... रूपये.....

योग:- रूपये.....

(7) यह कि मैं भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का लायसेंस मेरे (फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में, अग्रिम धन (1/6 भाग) की राशि एवं वर्ष 2016-17 की देय लायसेंस फीस यथासमय जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

(8) यह कि भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण है। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण /बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा भाग, भागछोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर

अथवा दिनांक 03 मार्च, 2016 तक 1/6 अग्रिम धन की अवशेष राशि जमा न कराने पर कलेक्टर को लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 अग्रिम धन व वर्ष 2015-16 के लिये पूर्व में जमा 1/12 भाग की प्रतिभूति की राशि को जब्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / / 2016

**सत्यापन लेख**

मैं, (नाम)..... (पिता/पति का नाम) श्री..... शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / / 2016

15-ख

**टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए**

भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के प्रत्येक बोलीदार/टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**शपथ-पत्र**

मैं स्वयं (नाम)..... (पिता/पति का नाम).....

.....निवासी (पता).....

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :-

- (1) मुझे मेसर्स .....(यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये), कम्पनी के संचालक मंडल (**Board of Directors**) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (**Resolution**) द्वारा मुझे ..... पदनाम ..... (यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये) अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी नामांकित किया गया है।
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2016-17 के लिये नीलाम में बोली/टेण्डर देने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं।
- (3) मेरे द्वारा सहमति करार पत्र वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है।
- (4) मेरे द्वारा भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/समूह के लायसेंसों के वर्ष 2016-17 के लिये नीलाम की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं नीलाम की शर्तें प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ।
- (5) मेरे द्वारा जिला ..... की भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रुपये ..... निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है :-
  - (II) नगद राशि रुपये..... एम.पी.टी.सी.-6 रसीद क्रमांक.....  
दिनांक ..... रुपये.....
  - (III) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर ..... रुपये.....

योग:- रुपये.....

- (6) यह कि मैं भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का नीलाम मेरे (फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में अग्रिम धन (1/6 भाग) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग) की राशि, विनिर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

- (7) यह कि मैं अपनी बोली/टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिये करार करता/करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ कि पुनः नीलाम की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझे से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (8) यह कि भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के नीलाम में बोली/टेण्डर देने के लिए मेरे द्वारा नीलामकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर, नीलामकर्ता अधिकारी कलेक्टर को, बोली/टेण्डर ऑफर तथा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को जब्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- स्थान..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक / /2016

### सत्यापन लेख

मैं, (नाम)..... (पिता/पति का नाम) श्री.....  
..... शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान.....  
हस्ताक्षर.....  
दिनांक / /2016

16. बोलीदार/टेण्डरदाता की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :-  
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम हेतु इच्छुक प्रत्येक बोलीदार/टेण्डरदाता को उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा आयकर अधिकारी अथवा नोटरी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित की गयी प्रति "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगा :-

#### 16.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-

- 1 पासपोर्ट
- 2 स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।
- 3 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।
- 4 वैध ड्रायविंग लायसेंस।
- 5 फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा की अद्यतन पासबुक।
- 6 आधार कार्ड।

#### 16.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-

- 1 अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
- 2 अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
- 3 अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. रि-फिलिंग की रसीद।
- 4 अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
- 5 किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
- 6 स्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र।
- 7 फोटोयुक्त बैंक बचत/चालू लेखा की अद्यतन पासबुक।
- 8 आधार कार्ड।

17. किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाने/टेण्डर देने के पूर्व बोलीदार/टेण्डरदाता को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:-

- (i) संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।



- (iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार, फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एक्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची।
- (iv) संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल (**Board of Directors**) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (**Resolution**) द्वारा अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा नीलाम /टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प (**resolution**) के साथ बोलीदार /टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।

**18. अर्नेस्टमनी जमा करना :-**

**18.1** बोली द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा व भांग मिठाई दुकानों के प्रत्येक बोलीदार को बोली लगाने देने के पूर्व संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2016-17 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर, अर्नेस्टमनी नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। कलेक्टर द्वारा प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत पुष्टि/संतुष्टि कर लेने के उपरान्त ही बोली ली जावेगी। इस प्रकार जमा की गयी अर्नेस्टमनी के विरुद्ध बोलीदार, 12 गुना राशि की सीमा तक संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु बोली दे सकेंगे। इससे अधिक बोली दिये जाने के पूर्व, उसे अतिरिक्त राशि अर्नेस्टमनी पेटे जमा कराना होगी। जिससे दी गयी बोली की तुलना में, कम से कम 1/12 भाग अर्नेस्टमनी जमा रहे।

**18.2** टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा व भांग मिठाई दुकानों के प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2016-17 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर, अर्नेस्टमनी नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेण्डर ऑफर के साथ लिफाफे में रखकर जमा करनी होगी।

**18.3** सफल बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 20 में उल्लेखित अनुसार अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अवशेष राशि (यदि कोई हो) वापिस की जावेगी।

**18.4** नीलाम (बोली)/टेण्डर की कार्यवाही में असफल बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि, उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।

**19. नीलामी/टेण्डर की प्रक्रिया :-**

वर्ष 2016-17 के लिये जिन जिलों में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा संपन्न हो जायेगा, उन्हें छोड़कर शेष जिलों में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों/समूहों का निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा किये जाने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा शीघ्र स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा।

**भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों/समूहों का वर्ष 2016-17 के लिये निष्पादन नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-**

**19.1** वर्ष 2016-17 के लिये उपरोक्तानुसार नीलाम (बोली)/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली संबंधित जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली अर्नेस्टमनी की राशि, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2014-15 में व वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम 09 माह में भांग की खपत आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में **दिनांक 25 फरवरी, 2016 दिन गुरुवार** से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी जानकारी (सेलपेपर) इच्छुक बोलीदार/टेण्डरदाता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। बोली/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के संबंध में उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ-साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चरपा कराई जायेगी।

- 19.2** उपरोक्तानुसार वर्ष 2016-17 के लिए भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस दिनांक 04 मार्च, 2016 दिन शुक्रवार को निम्नांकित परिशिष्ट "क" के कॉलम 3 में उल्लेखित स्थलों पर घोषित आरक्षित मूल्य पर बोली/टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे। नीलाम केन्द्रों (स्थलों) पर नीलाम की कार्यवाही, नीलाम की शर्तों के वाचन के साथ निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी।
- 19.3** नीलाम की शर्तों के वाचन के पश्चात वर्ष 2016-17 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का नीलाम पृथक-पृथक बोली आमंत्रित कर किया जायेगा। पृथक-पृथक नीलाम न होने पर राजस्व हित में इन भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का समूह में नीलाम का प्रयास किया जायेगा। राजस्व के हित में इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा। समूह इस प्रकार बनाये जायेंगे, जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके।
- 19.4** उपरोक्तानुसार बोली प्राप्त करने के पश्चात, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि प्राप्त उच्चतम बोली से अधिक राशि की बोली प्राप्त होने की संभावना नहीं है और प्राप्त बोली घोषित आरक्षित मूल्य से अधिक राशि की है, तो नीलामकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर उचित समझने पर उसे स्वीकार कर नीलाम अंतिम कर सकेंगे।
- 19.5** यदि उपरोक्त कण्डिका 19.4 अनुसार प्राप्त बोली, घोषित आरक्षित मूल्य से कम राशि की है, तब प्राप्त बोली को उसी स्टेट्स पर स्थगित कर, उपस्थित इच्छुक बोलीदारों/टेण्डरदाताओं से पंडाल में घोषणा द्वारा निश्चित किये गये समय पर, सीलबंद टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे।
- 19.6** टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में बोली के समय उपस्थित बोलीदारों के अतिरिक्त अन्य इच्छुक व्यक्ति भी भाग ले सकेंगे।
- 19.7** वर्ष 2016-17 हेतु भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन/निवर्तन के लिये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक टेण्डरदाताओं को टेण्डर प्रपत्र का विक्रय उपरोक्त कण्डिका-7 में उल्लेखित नियत राशि के नगद भुगतान अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैंश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से भुगतान पर किया जायेगा। संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत एवं क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 19.8** कलेक्टर द्वारा निश्चित किये गये समय तक प्राप्त, सभी टेण्डरों को खोलकर टेण्डरदाता/टेण्डरदाताओं के टेण्डर देने हेतु पात्र पाये जाने पर, टेण्डर में प्राप्त ऑफर एवं पूर्व में प्राप्त बोली दोनों का ही तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जायेगा।
- 19.9** नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि टेण्डर की कार्यवाही में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर, सम्बन्धित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होगा, वे उसे स्वीकार कर नीलाम अंतिम कर सकेंगे।
- 19.10** टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र में सम्बन्धित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का नाम, जिसका वह टेण्डर ऑफर देना चाहता है, अंकित कर अपना ऑफर, शब्दों तथा अंकों में अंकित करेगा। साथ ही कण्डिका-4 अनुसार जमा की गयी अर्नैस्टमनी की राशि की एम.पी.टी.सी.-6 रसीद का विवरण अथवा अर्नैस्टमनी की राशि के मूल बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैंश आर्डर/बैंकर्स चैक संलग्न कर निम्नांकित कण्डिका-14 में उल्लेखित प्रारूप में सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज, आयकर स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड की प्रमाणित एवं टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत/चालू खाते की पासबुक के प्रथम पेज जिसमें बैंक की शाखा, खाता धारक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी अंकित हो, की प्रमाणित छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर, निम्नांकित कण्डिका-15-ख में उल्लेखित प्रारूप में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा।

- 19.11** टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ-साथ पार्टनरशिप-डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल (**Board of Directors**) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (**Resolution**) द्वारा अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा नीलाम/टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प (**resolution**) के साथ बोलीदार /टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल आयकर स्थायी लेखा (PAN) क्रमांक तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा।
- 19.12** टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र एक लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद किया जायेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला न जा सके। टेण्डरदाता द्वारा कलेक्टर द्वारा घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 19.13** नियत समय पर कलेक्टर द्वारा प्रत्येक भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लिए प्राप्त टेण्डर को खोलकर टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। टेण्डरदाता द्वारा संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह हेतु देय **अर्नेस्टमनी की राशि की पुष्टि/संतुष्टि** होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही प्राप्त ऑफरों की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।
- 19.14** उच्चतम प्राप्त टेण्डर ऑफर की राशि के अंकों तथा शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित राशि को अधिमान्यता दी जायेगी।
- 19.15** टेण्डर प्रपत्र के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी की राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार कलेक्टर, मौके पर ही करवा सकेंगे। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका-समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।
- 19.16** टेण्डर के माध्यम से किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक उच्चतम राशि का एक से अधिक समान ऑफर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
- 19.17** उच्चतम बोलीदार/टेण्डरदाता यदि बोली/टेण्डर की पुष्टि तक, बोली/टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उस भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को बोली/टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति की राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक केश आर्डर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।
- 19.18** नीलाम/टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी बोलीदार/टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव सशर्त अथवा बिना शर्त पुनःनीलाम के प्रावधानों को छोड़कर, न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।
- 19.19** आरक्षित मूल्य से कम राशि की प्राप्त बोली/टेण्डर ऑफर की स्वीकृति के संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश से निर्देश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, नीलाम की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस/दिवसों

के लिये स्थगित रहेगी। इसके साथ ही बोली/टेण्डर द्वारा निष्पादन से बचे हुये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई के फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की नीलामी/टेण्डर हेतु, आगामी तिथि की घोषणा, कलेक्टर द्वारा नीलाम स्थल पर ही की जायेगी।

नोट—नीलामकर्ता अधिकारी से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है।

20

**1/6 भाग अग्रिम धन एवं 1/12 भाग प्रतिभूति जमा करना :-**

- 20.1** भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2016-17 के प्रत्येक सफल बोलीदार/टेण्डरदाता को अपनी उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा। जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध बोलीदार/टेण्डरदाता के द्वारा बोली/टेण्डर ऑफर देने के पूर्व, जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी राशि आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी। शेष अग्रिम धन की राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक के कैंश आर्डर के रूप में नीलाम के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगी।
- 20.2** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2016-17 के सफल बोलीदार/टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल बोलीदार को अग्रिम धन का शेष भाग, जो अर्नेस्टमनी के समायोजन उपरान्त देय होगा को जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दे सकेंगे। तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश/बैंक हड़ताल के दिन छोड़ दिये जायेंगे।
- 20.3** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु सफल बोलीदार/टेण्डरदाता को अपनी बोली/टेण्डर ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय शाखा पर भुगतान योग्य, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक के कैंश आर्डर के रूप में नीलाम के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी। तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।
- 20.4** वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित राशि की बैंक गारंटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में एवं यह बैंक गारंटी भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने पर ही, उसे ही स्वीकार किया जायेगा। पृथक से संलग्न किया गया समतुल्य मूल्य का स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होगा।
- 20.5** अगर कोई सफल बोलीदार/टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गारंटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी।
- 20.6** सफल बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा नीलाम की शर्तों का पालन न करने, 1/6 अग्रिम धन राशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी। 1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राशि राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस/लायसेंसों का पुनःनीलाम किया जायेगा। इस पुनःनीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।
- 20.7** वर्ष 2016-17 के लिए भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लिए अग्रिम धन (1/6 भाग) की जमा राशि माह फरवरी एवं माह मार्च, 2017 की देय लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।
- 20.8** प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2017 तक की होगी। कोई भी बैंक गारंटी इससे अल्प अथवा आंशिक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी।
- 20.9** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के लिए,

प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी को लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध, जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून 2017 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/सधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी।

20.10

अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व बोलीदार/टेण्डरदाता का होगा। यदि कोई सफल बोलीदार/टेण्डरदाता जमा की गई अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के स्वरूप में कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् नगद राशि, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के केश आर्डर के स्थान पर बैंक गारंटी अथवा बैंक गारंटी के स्थान पर नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के केश आर्डर को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगे। परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल बोलीदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि, विभाग के पास निरन्तर जमा रहे।

20.11 बोलीदार द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी।

21.

**खिसारे की वसूली/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को राजसात करना :-**

भाग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस का उच्चतम बोलीदार/टेण्डरदाता, यदि बोली/टेण्डर ऑफर की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/टेण्डर ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/टेण्डर ऑफर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस/लायसेंसों को पुनः नीलाम करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह सम्बन्धित उच्चतम बोलीदार/टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, नीलाम की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 20 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन (1/6 भाग) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग) की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि के विरुद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन (1/6 भाग) की राशि, प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के केश आर्डर के रूप में जमा की गई अथवा अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा।

22.

**पुनर्नीलाम :-**

22.1 पुनर्नीलाम के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो नवीनीकरण द्वारा निष्पादित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को छोड़कर, भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2016-17 के नीलाम के समय, उस लायसेंस/लायसेंसों के समूह, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, के नीलाम में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस/लायसेंसों के समूह की बोली/टेण्डर ऑफर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिये उसके द्वारा बोली/टेण्डर ऑफर दिया गया हो।

22.2 नीलाम किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के पुनर्नीलाम के लिये आवेदन-पत्र नीलाम तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगे। तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेगे। आवेदक को पुनर्नीलाम के आवेदन के साथ भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में प्राप्त उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके बाकी राशि) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के केश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी।

- 22.3** पुनर्नीलाम के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक नीलामी की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर से, कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली/टेण्डर ऑफर देना चाहता हो। पुनर्नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनर्नीलाम की घोषणा करते हैं, तो कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।
- 22.4** पुनर्नीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनर्नीलाम में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है/टेण्डर ऑफर नहीं देता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी 1/3 भाग की राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनर्नीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली/टेण्डर ऑफर से कम की बोली नहीं लगायेगा/टेण्डर ऑफर नहीं देगा और ऐसी बोली लगाने/टेण्डर ऑफर देने में असफल रहेगा, तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग की राशि या जमा अन्य कोई भी राशि जप्त/राजसात हो जायेगी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 22.5** किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के पुनर्नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।
- 22.6** किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनर्नीलाम होने पर भी, उसके प्रथम नीलाम के समय, जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली दी गयी हो, वह 15 दिन तक अपनी उस बोली पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।
- 22.7** पुनर्नीलाम की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।
- 23 वर्ष 2016-17 की अवधि में नीलाम की शर्तों का प्रभावशील रहना :-**  
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम की ये सभी शर्तें, वर्ष 2016-17 के लिए तथा वर्ष 2016-17 के दौरान होने वाले पुनर्नीलाम की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी।
- 24. वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना :-**
- 24.1** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के प्रत्येक सफल बोलीदार को 31 मार्च 2016 या उसके पूर्व माह अप्रैल 2016 की लायसेंस फीस की देय किश्त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस जारी किया जावेगा।
- 24.2** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस को, प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की पृथक-पृथक देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा संबंधित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी। यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो, तो भागफल की अवशेष राशि माह अप्रैल 2016 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी।
- 24.3** यदि किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, माह के सातवें कार्य दिवस तक जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को भांग का प्रदाय निषेधित किया जा सकेगा अथवा फुटकर विक्रय दर पर भांग की आपूर्ति के आदेश दिये जा सकेंगे। संबंधित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में ऐसे भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का लायसेंस निरस्त कर, पुनर्नीलाम करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंस के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनर्नीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंस से भू-राजस्व क्री बकाया की भांति की जायेगी।
- 24.4** समूह में सम्मिलित किसी भांग अथवा भांगघोटा अथवा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की देय मासिक लायसेंस फीस अवशेष रहने की स्थिति में, उक्त समूह की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की लायसेंस फीस अवशेष मानी जायेगी।
- नोट:-सफल बोलीदार का आशय ऐसे बोलीदार से है, जिसकी उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर को नीलामी के समय अंतिम किया गया हो।**
- 25. लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण :-**  
वर्ष 2016-17 में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस/लायसेंसों की अवधि के दौरान, यदि किसी लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, लायसेंस/लायसेंसों की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का

- भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति, जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।
- 26. नीलाम की कार्यवाही में न लगाई गई बोली स्वीकार न करना :-**  
वर्ष 2016-17 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली, जिसने भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम के समय अथवा पुनर्नीलाम यदि हुआ हो, तो पुनर्नीलाम के समय बोली न दी हो, विचार योग्य नहीं होगी।
- 27. वर्ष 2016-17 के लिए नीलाम की कार्यवाही पूर्ण करना :-**  
वर्ष 2016-17 के लिए नीलाम किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की बोली, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का नीलाम फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए, यदि नीलाम के दौरान ही पुनर्नीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुनर्नीलाम की सूचना पुनर्नीलाम के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 28 का पालन किया जायेगा। पुनर्नीलाम की तिथि संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के किसी समूह का किसी भी कारण से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अन्तिम नहीं होता है, तो उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे। जिसकी घोषणा नीलाम स्थल में ही की जा सकती है।
- 28. वर्ष 2016-17 की अवधि में पुनर्नीलाम करना :-**  
वर्ष 2016-17 के लिए अथवा वर्ष के मध्य में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनर्नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनर्नीलाम किया जा सकेगा। पुनर्नीलाम हेतु सूचना पत्र पुनर्नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा।
- 29. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :-**  
वर्ष 2016-17 के लिए नीलाम किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के उच्चतम बोलीदार को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा।
- 30. भांग की ड्यूटी दर :-**  
वर्ष 2016-17 में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की नीलाम की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भांग की ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण	ड्यूटी दर
1.	भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की नीलाम की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर	रुपये 100/- (एक सौ) प्रति किलो ग्राम
2.	उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनाई जाने वाली औषधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर	रुपये 300/- (तीन सौ) प्रति किलो ग्राम

- 31. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों से विक्रय की व्यवस्था :-**
- 31.1** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध, भाण्डागार से प्रदाय की गयी भांग की सीलबन्द थैलियों से ही भांग का विक्रय करना होगा। एक थैली की भांग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील खोली जावेगी।
- 31.2** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 13 एवं एच.डी.-7 लायसेंस की शर्त 3 (डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10, 5, 2 एवं 1 ग्राम के बांट तथा तराजू दुकान में रखना होगा। भांग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा। यह बांट एवं तराजू नाप-तौल विभाग से विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होना चाहिए।
- 31.3** भांग के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को भांग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा। पुड़िया अथवा पैकेट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भांग का विक्रय नहीं किया जायेगा।

- 31.4** भांग के फुटकर विक्रय की दुकानों के लायसेंसियों को पिंसी भांग की गोली बेचने की जो सुविधा वर्तमान वर्ष 2015-16 में प्रचलित है, वह सुविधा वर्ष 2016-17 के लिए भी यथावत् रहेगी। इस हेतु भांग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा। जिसकी लायसेंस फीस रूपया 3/- दैनिक होगी। लायसेंसी को इस हेतु आवेदन-पत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सके। लायसेंसी को रूपया 3/- प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस, अग्रिम जमा करानी होगी। जो संबंधित दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी।
- 32.** उपरिलिखित शर्त क्रमांक 27 एवं शर्त क्रमांक 28 के अधीन पुनर्नीलाम की तिथि की घोषणा, यदि नीलाम के दिन नीलाम स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनर्नीलाम की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार-पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना-पत्र का प्रदर्शन, संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा।
- 33.** आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह की बोली के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी नीलाम संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में, विहित शर्तों के अध्यक्षीन, उन्हें पुनर्नीलाम करने के आदेश, नीलाम अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझे, दे सकेंगे। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। 07 दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।
- 34. अन्य कर :-**  
वर्ष 2016-17 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो लायसेंसी इस बाबत लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 35.** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के नीलाम के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थाएँ जिनका उल्लेख इस विज्ञापित में नहीं किया गया है, वे व्यवस्थाएँ वर्ष 2015-16 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी।
- 36.** जिले की भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) पृथक से नगद जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी।
- 37.** भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस/लायसेंसों का नीलाम, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों और राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यक्षीन रहेगा।

(राकेश श्रीवास्तव)  
आबकारी आयुक्त  
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-"क"

वर्ष 2016-17 के लिये मध्यप्रदेश में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही हेतु नियत केन्द्र (स्थल)

क्रम	जिले का नाम	निष्पादन स्थल
1	2	3
1	इंदौर	कलेक्टोरेट, इन्दौर
2	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
3	खरगौन	स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
4	बड़वानी	कलेक्टोरेट, बड़वानी
5	धार	कलेक्टोरेट, धार



6	खण्डवा	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
7	भोपाल	सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, भोपाल
8	राजगढ़	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
9	विदिशा	कलेक्टोरेट, विदिशा
10	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
11	हरदा	कलेक्टोरेट, हरदा
12	बैतूल	जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
13	जबलपुर	कलेक्टोरेट, जबलपुर
14	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
15	छिंदवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
16	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
17	मण्डला	कलेक्टोरेट, मण्डला
18	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
19	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
20	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
21	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
22	श्यापुर	जिला आबकारी कार्यालय, चम्बल कालोनी, श्यापुर
23	गुना	कलेक्टोरेट, गुना
24	अशोकनगर	कलेक्टोरेट, अशोकनगर
25	शिवपुरी	न्यू कलेक्टोरेट, शिवपुरी रोड, शिवपुरी
26	दतिया	संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया
27	सागर	कलेक्टोरेट, सागर
28	दमोह	कलेक्टोरेट, दमोह
29	पन्ना	कलेक्टोरेट, पन्ना
30	टीकमगढ़	संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय, टीकमगढ़
31	छतरपुर	कलेक्टोरेट, छतरपुर
32	रीवा	सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, रीवा
33	सतना	कलेक्टोरेट, सतना
34	शहडोल	संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
35	उमरिया	कलेक्टोरेट, उमरिया
36	उज्जैन	कलेक्टोरेट, उज्जैन
37	शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर
38	आगर (मालवा)	कलेक्टोरेट, आगर (मालवा)
39	मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
40	नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच
41	रतलाम	कलेक्टोरेट सभागृह, रतलाम
42	देवास	मल्हार स्मृति सभाकक्ष, देवास

राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.